संख्या-36/2024/4145/22-2-2023-17(737)/2019

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 अप्रैल, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-उन्नाव वर्तमान जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप, रोशनाबाद, थाना-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव वर्तमान जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.1980 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर मंशाराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 02 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-66/1981 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 05.09.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 28-02-2008 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 17 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 06 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित करने से इन्कार नहीं किये जाने, मृतक व बन्दी के परिजनों में पूर्व में हुई घटना को लेकर मनमुटाव व्याप्त है बन्दी की समयपूर्व रिहाई उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पुनः अपराध कारित करने की संभावना के दृष्टिगत कारागार में निरुद्ध रखना औचित्य पूर्ण होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.1980 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर मंशाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने तथा 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन

जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव (बंदी संख्या-23214) पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी जनपद-उन्नाव वर्तमान जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-36/2024/4145(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0- 276/2023 रामपाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023, दिनांक 05.12.2023 एवं दिनांक 12.02.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-36/2024/4145/22-2-2023-17(737)/2019

दिनांक 03 अप्रैल, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप, रोशनाबाद, थाना-बांगरमऊ, जनपद-उन्नाव वर्तमान जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.1980 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर मंशाराम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा 02 व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-66/1981 भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34, 323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 05.09.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनांक 28-02-2008 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.10.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 09 माह 17 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष 06 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित करने से इन्कार नहीं किये जाने, मृतक व बन्दी के परिजनों में पूर्व में हुई घटना को लेकर मनमुटाव व्याप्त है बन्दी की समयपूर्व रिहाई उचित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, पुनः अपराध कारित करने की संभावना के दृष्टिगत कारागार में निरुद्ध रखना औचित्य पूर्ण होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.11.1980 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व चाकू से मारकर मंशाराम नामक व्यक्ति की हत्या करने तथा 02 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुखदेव पुत्र श्री रामस्वरूप को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

N